निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1935 (शo)

(सं0 पटना 476) पटना, शुक्रवार, 21 जून 2013

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण)

———————

बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष
मार्गदर्शिका 2013–14

अधिसूचना

14 जून 2013

सं0 712—राज्य सरकार द्वारा योजना मद से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष के मद से राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य के उत्कृष्ट/प्रतिभावान खिलाड़ी को सहायता राशि की स्वीकृति हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 2/ब1–17/2006–87 दिनांक 19.07.2010 में कतिपय संशोधन करते हुए संशोधित मार्गदर्शिका/निर्देशिका निम्न रूप से अधिसूचित की जाती है :–

1. योजना का नाम एवं क्षेत्राधीन

(क) यह योजना '' बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष'' के नाम से जाना जायेगा।

(ख) इस योजना का लाभ, आभावग्रस्त, बेरोजगार अथवा/मानदेय/संविदा के आधार पर अधिकतम ₹ 15,000 प्रतिमाह तक पर कार्यरत सरकारी/गैर सरकारी उत्कृष्ट/प्रतिभावान बिहार निवासी खिलाड़ी प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) राज्य के वैसे खिलाड़ी जिनका चयन भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान (एन. आई.एस.) पटियाला, कोलकाता एवं बंगलोर के डिप्लोमा इन कोचिंग कोर्स में नामांकन के लिए होता है, उन्हें संस्थान द्वारा कोर्स पूरा करने के लिए शुल्क प्रदान किया जा सकेगा।

2. परिभाषा

(क) योजना का अर्थ है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे खिलाड़ियों के लिए आपात्कालीन स्थिति में आवश्यकतानुसार आर्थिक रूप से अथवा खेल उपकरण/किट्स प्रदान कर सहायता प्रदान करना।

(ख) समिति का अर्थ है उत्कृष्ट/प्रतिभावान खिलाड़ियों को सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान करने वाली विभाग द्वारा गठित समिति।

(ग) अभावग्रस्त का अर्थ है वह परिस्थिति जिसके अंतर्गत संबंधित खिलाड़ी का व्यक्तिगत वार्षिक आय ₹ 1,80,000 तक अथवा बेरोजगार खिलाड़ी के परिवार के सदस्यों का कुल वार्षिक आय ₹ 5,00,000 से अधिक न हो अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जिसे समिति अभावग्रस्त समझती हो।

(घ) खेल का तात्पर्य है वैसे खेल जिसके सुप्रीम बॉडी (i) इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन (आई.ओ. ए.) तथा इनसे संबद्ध (ii) विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय महासंघ, (iii) बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल फॉर क्रिकेट इन इण्डिया (बी.सी.सी.आई.), (iv) अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, (v) स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, (vi) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा सीधे तौर पर अथवा इनके निर्देशन में विश्व/एशियन/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताएँ।

3. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का तात्पर्य हैः–

(क) इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमिटी अथवा इनसे संबद्ध विभिन्न खेलों के विश्व महासंघ/विभिन्न खेलों के एशियन महासंघ/ओलम्पिक कांउसिल ऑफ एशिया द्वारा आयोजित ओलम्पिक/कॉमनवेल्थ गेम्स/सैफ गेम्स, सार्क गेम्स एवं अन्य मान्यता प्राप्त खेल।

(ख) इन्टरनेशनल क्रिकेट कांउसिल (आई.सी.सी.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ।

(ग) इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन (एफ.आई.एस.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ।

(घ) इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन अथवा एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ।

4. राष्ट्रीय प्रतियोगिता का तात्पर्य हैः–

(क) इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन (आई.ओ.ए.) अथवा इससे संबद्ध विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय महासंघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय/जोनल प्रतियोगिताएँ।

(ख) बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ईन ईण्डिया (बी.सी.सी.आई) द्वारा आयोजित रणजी/दिलीप/विजी ट्रॉफी एवं अन्य क्रिकेट प्रतियोगिताएँ।

(ग) इन्टर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ।

(घ) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ।

(ड.) सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट कमिटी/जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ।

(च) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएँ।

(अंतर्राष्टीय/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित आमंत्रण प्रतियोगिता में प्रतिभागी खिलाड़ी इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे)

5. उत्कृष्ट खिलाड़ी का तात्पर्य वैसे खिलाड़ी से है, जिन्होंने कंडिका 3 में अंकित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।

6. प्रतिभावान खिलाड़ी का तात्पर्य वैसे खिलाड़ी से है, जिन्होने कंडिका 4 में अंकित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम सोलह तक तथा दलीय स्पर्धा में 8वाँ तक स्थान प्राप्त किया हो।

7. योजना का लक्ष्यः–

(i) चिकित्सा/उपचार हेतु सहायता राशि

(क) वैसे उत्कृष्ट/प्रतिभावान खिलाड़ी (कंडिका 5 एवं 6 के अनुरूप) जो प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रतियोगिता अवधि में चोटग्रस्त होने अथवा अन्यान्य कारणों से मानसिक/शारीरिक रूप से खेलने में अयोग्य हो गये हों, उन्हें चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना (one time)।

(ख) वैसे खिलाड़ी जो प्रतियोगिता/प्रशिक्षण अवधि में अस्थायी रूप से चोटिल हो गये हों उन्हें चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। घटना के संदर्भ हेतु राज्य खेल संघ/प्रशिक्षक/प्रतियोगिता रेफरी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के साथ साथ चिकित्सक का प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।

(ग) अन्य वैसे लाभ प्रदान करना जो उपरोक्त लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक हो।

(ii) खेल उपकरण/किट्स हेतु सहायता राशि

(क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम सोलह स्थान तक तथा दलीय स्पर्धा में आठवाँ तक स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

(ख) राज्य खेल संघों के मिनी/सब जूनियर एवं जूनियर स्तर की खेल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम चार एवं दलीय स्पर्धा में प्रथम दो तक स्थान के खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

(iii) डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग हेतु सहायता राशि

राज्य के वैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला, कोलकाता, बंगलोर एवं अन्य संबद्ध संस्थानों से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग प्राप्त करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

संस्थान में नामांकन उपरांत संस्था के प्रधान द्वारा संस्थान के द्वारा निर्धारित शुल्क का ब्योरा अनुशंसित करा कर संलग्न करते हुए इच्छुक खिलाड़ी को आवेदन करना होगा।

8. आवेदन तथा उस पर विचारः–

(क) बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष से आर्थिक सहायता हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

(ख) प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभागीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु विचार कर निर्णय लिया जायेगा। किसी कारणवश समिति की बैठक निकट भविष्य में होने की उम्मीद न हो तो, समिति द्वारा पाँच सदस्यों की समिति नामित कर आवेदनों का निपटान कर निर्णय लिया जा सकेगा।

9. कोष से सहायता की सीमाः–

(क) चिकित्सा/उपचार हेतु खिलाड़ियों को सामान्य परिस्थिति में ₹ 10,000 से ₹ 50,000 तक एवं विशेष परिस्थिति में ₹ 1,00,000 तक की सहायता राशि प्रदान करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत रोगग्रस्त खिलाड़ी से प्राप्त प्रमाणिक चिकित्सकीय सलाह एवं विपत्र के आधार पर आवश्यकतानुसार सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

(ग) खेल उपकरण/किट्स का क्रय कर आवदेक को प्रदान किये जाने हेतु न्यूनतम ₹ 10,000 तथा अधिकतम ₹ 50,000 तक अनुदान अनुमान्य होगा। विशेष खेल उपकरण की मांग पर समिति निर्णय ले सकेगी एवं अधिक सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु विचार करेगी।

(घ) आवेदन पत्र–संबंधित खिलाड़ी द्वारा प्रतिभागिता में की गई अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/जोनल प्रतियोगिता से संबंधित को राज्य खेल संघ/विश्वविद्यालय/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण/जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अनुशंसा के साथ प्रेषित की जायेगी।

(ड.) राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के नामांकन हेतु चयनोपरांत सहायता राशि :–

राज्य के वैसे खिलाड़ी जिनका चयन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स पाठ्यक्रम हेतु (अवधि 18 माह) हो जाता है, उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क ₹ 60,000 तक राशि की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

10. अन्यान्य :–

(क) सहायता राशि संबंधित किसी प्रकार की अन्य नीति/शर्त सरकार के स्तर पर किसी भी समय पूर्व से आवेदित मामलों पर भी लागू होगा।

(ख) सहायता राशि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस संबंध में विभागीय निर्णय अंतिम होगा।

(ग) इस योजना हेतु उपबंधित कुल राशि का 10 प्रतिशत निःशक्त खिलाड़ियों के लिए कर्णांकित होगा।

(घ) इस संबंध में निर्गत पूर्व की मार्गदर्शिका को इस हद तक निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 महेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 476-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in